

मॉडिफाईड लाकडाउन अवधि (20.04.2020 से 03.05.2020) के दौरान अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु गाईडलाईन

1. भारत सरकार के द्वारा मॉडिफाईड लाकडाउन अवधि (15.04.2020 से 03.05.2020) के दौरान अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन आदेश दिनांक 15.04.2020 को जारी किये गये हैं। उपरोक्त आदेशों के अनुसार दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की अवधि में **अनुलग्नक-1** में वर्णित अनुमत श्रेणी के उद्योगों के संचालन हेतु किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अनुमत श्रेणी के उद्योगों को लाकडाउन (प्रथम) की अवधि में जो अनुमति एवं पास जारी किये गये थे, वह उक्त मॉडिफाईड लाकडाउन की अवधि में भी वैध रहेंगे और उन्हें अलग से वैध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. उपरोक्त वर्णित अवधि में उद्योगों का संचालन मुख्यतः निम्न प्रकार के क्षेत्रों में हो सकेगा:—
 - A. **आवश्यक प्रकृति के अनुमत उद्योग**, चाहे वह कहीं ही स्थित हों, को अपनी गतिविधि संचालन हेतु किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन निम्न शर्तों की पालना करनी होगी :—
 - (i) ऐसे उद्योग परिसरों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन अनुलग्नक-(2) के अनुसार इकाई के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अपनाया जाना तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना की जानी होगी।
 - (ii) ऐसे उद्योग यदि नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका सीमा क्षेत्र में स्थित हो, के संचालन के लिये श्रमिकों को उद्योग परिसर तक संबंधित औद्योगिक इकाई के डेडिकेटेड वाहन से आना जाना अनुमत होगा।
 - (iii) इस श्रेणी की नयी इकाई जो लाकडाउन अवधि के उपरान्त अब पहली बार अपनी गतिविधि प्रारम्भ करना चाहती है तो उसे उद्यमी, कार्मिक तथा श्रमिकों के लिये पास प्राप्त करना होगा।
 - B. **ग्रामीण क्षेत्र (नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका सीमा से बाहर)** में स्थापित ऐसे उद्योग जो चाहे रीको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातानुमुखी इकाईयाँ, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में हो अथवा बाहर हों, अपनी गतिविधि संचालन हेतु किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन निम्न शर्तों की पालना करनी होगी:—

- (i) यदि आने वाले श्रमिक नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका सीमा में से होकर इकाई तक पहुँचने वाले हैं, तो ऐसे श्रमिकों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें एक बार ही इकाई तक डेडिकेटेड वाहन से ले जाना होगा फिर इकाई में ही रखना होगा।
- (iii) ऐसे उद्योग परिसरों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन अनुलग्नक-(2) के अनुसार इकाई के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अपनाया जाना तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना किया जाना।

C. अन्य सभी उद्योग जो नगर निगम/नगरपरिषद/नगरपालिका सीमा क्षेत्र में चाहे रीको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातोन्मुखी इकाईयाँ, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हों अथवा बाहर स्थित हों, को अपनी गतिविधि संचालन हेतु किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन निम्न शर्तों की पालना करनी होगी:-

- (i) रीको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ईपीआईपी या निर्यातोन्मुखी इकाईयाँ, विशेष उत्पाद के औद्योगिक पार्क यथा फूड, मसाला, आईटी आदि तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हो, ऐसे सभी परिसरों/क्षेत्रों का पहुँच नियंत्रण (access control) हो।
- (ii) उद्योग के संचालन के लिये श्रमिकों को उद्योग परिसर के भीतर या उद्योग परिसर के निकटवर्ती भवन में ठहरना।
- (iii) श्रमिकों को एक बार ही उद्योग परिसर तक संबंधित औद्योगिक इकाई के डेडिकेटेड वाहन से ले जाना अनुमत होगा।
- (iv) ऐसे उद्योग परिसरों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन अनुलग्नक-(2) के अनुसार इकाई के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया अपनाया जाना तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना किया जाना।

3. उद्यमियों एवं श्रमिकों के लिये डेडिकेटेड वाहन को पास की व्यवस्था:-

- (i) उद्यमियों को स्वयं के वाहन एवं अपने यहां नियोजित श्रमिकों के लिये डेडिकेटेड वाहन के पास हेतु आवेदन आनलाईन या तो 'राजकाप सिटिजन' मोबाईल एप के माध्यम से अथवा <http://epass.rajasthan.gov.in> पर करना होगा।
- (ii) रीको औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित होने वाले उद्योगों के लिये ऐसे पास जारी करने के लिये अनुमति संबंधित रीको के इकाई प्रभारी अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा रीको औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थित उद्योगों के लिये संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दी जायेगी।

- (iii) वैकल्पिक तौर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित होने वाले उद्योगों के लिये उद्यमियों को स्वयं के वाहन एवं अपने यहां नियोजित श्रमिकों के लिये डेडिकेटेड वाहन के पास आफलाईन पास संबंधित रीको के इकाई प्रभारी अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा रीको से बाहर स्थित उद्योगों के लिये संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिनांक 20.04.2020 से 26.04.2020 तक जारी किये जा सकेंगे।
- (iv) जिन इकाईयों में श्रमिक निवास कर रहे हैं, उनके लिये किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- (v) ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाली औद्योगिक अनुमत इकाईयाँ जिनके श्रमिक नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका सीमा क्षेत्र से आते हों तो ऐसे श्रमिकों एवं वाहनों का अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। ऐसे सभी श्रमिकों की सूची मय फोटो आईडी बनानी होगी और वह आनलाइन अथवा आफलाईन पास जारी कराने के लिये आवेदन करते समय प्रस्तुत करनी होगी। श्रमिकों को लाने ले जाने के लिये उपयोग होने वाले डेडिकेटेड वाहन का ही पास बनेगा। डेडिकेटेड वाहन के पास के लिये वाहन पंजीयन एवं ड्राइवर की फोटो व उसके वैध लाईसेंस की कापी लगानी होगी।
- (vi) उद्यमी एवं कार्मिकों के लिये चौपहिया वाहन के पासों की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:—
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग | :- दो वाहन (चौपहिया/दुपहिया) |
| 2. मध्यम श्रेणी के उद्योग | :- तीन वाहन (चौपहिया/दुपहिया) |
| 3. बड़े एवं मेगा श्रेणी के उद्योग | :- पाँच वाहन (चौपहिया/दुपहिया) |
- नोट:—** भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार एक कार में अधिकतम दो व्यक्ति तथा दोपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति अनुमत होंगे।
- (vii) ग्रामीण क्षेत्र के अनुमत उद्योगों के लिये व्यक्तिगत श्रमिक के वाहन का आवागमन अनुमत इसी शर्त पर हो सकेगा जबकि ऐसा श्रमिक नगर निगम/ नगरपरिषद/ नगरपालिका सीमा क्षेत्र से अथवा कन्टेनमेंट जोन से नहीं गुजरता हो।
- (viii) यदि औद्योगिक इकाई का स्वामी अथवा महाप्रबन्धक राज्य की सीमा से बाहर निवास करता है तो उसे पास जारी करने की अधिकारिता रीको या जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी को नहीं है। उसके लिये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही करनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ही सक्षम होगा।

- (ix) कर्पर्यू अथवा कन्टेन्मेंट जोन या हाटस्पाट चिन्हित एरिया से कोई भी उद्यमी अथवा कार्मिक या श्रमिकों का आवागमन निषिद्ध रहेगा और कोई पास जारी नहीं किया जायेगा।
- (x) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग के लिये यद्यपि श्रमिकों को आवागमन न्यूनतम रखा जाये तथा आवश्यकता होने पर खादी बोर्ड अथवा जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा।
- (xi) उक्त जारी सभी पासों के बारे में सूचना एरिया के इंसीडेंट कमांडर की जानकारी में लाया जाना आवश्यक होगा। यदि ऐसे इंसीडेंट कमांडर/जिला कलक्टर द्वारा किसी इकाई या श्रमिकों के आवागमन पर आपत्ति की जाती है तो ऐसे जारी पास को निरस्त किया जा सकेगा।

4. सामान्य शर्तें एवं जानकारी:-

- (i) माडिफाईड लाकडाउन की अवधि में अनुमत उद्योगों को ऐसे सभी उद्योगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन अनुलग्नक-(2) के अनुसार इकाई के संचालन हेतु दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी।
- (ii) माडिफाईड लाकडाउन की अवधि में उद्योग संचालित करने से पूर्व ऐसे सभी उद्यमी जिन्हें पास की आवश्यकता हो, उनके लिये एक स्व:घोषणा फार्म (अनुलग्नक-3 के अनुसार) निर्धारित प्रारूप में भरना होगा तथा आनलाईन अथवा आफलाईन पास प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्र तथा गैर रीको क्षेत्र में संचालित होने वाले अनुमत उद्योग जिन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है वह के अनुसार इकाई से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-4 के अनुसार) निर्धारित प्रारूप में भरनी होगी तथा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र की ईमेल पर भिजवानी होगी।
- (iv) जिस डेडिकेटेड वाहन को श्रमिकों को लाने ले जाने के लिये उपयोग में लिया जायेगा उसकी फिटनेस व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण व वैध होनी चाहिये। ऐसे वाहन को उपयोग में लेने के बाद सेनेटाईज करने हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) डेडिकेटेड वाहन की कुल यात्री क्षमता का अधिकतम 40 प्रतिशत तक यात्री ही एक बार में बैठ सकेंगे तथा सामाजिक दूरी की अवधारणा की पालना करनी होगी।

- (vi) सभी उद्यमियों को सेनेटाईजर, मास्क व साबुन व पर्याप्त पानी की व्यवस्था अपने परिसरों में रखनी होगी।
- (vii) किसी भी श्रमिक या कार्मिक में प्रथम दृष्टया कोरोना बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब निकटतम चिकित्सालय को अथवा जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सूचित करना होगा।
- (ix) कर्फ्यू अथवा कन्टेन्मेंट जोन या हाटस्पाट चिन्हित एरिया से कोई भी उद्यमी अथवा कार्मिक या श्रमिकों का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
- (x) किसी अनुमत उद्योग के अलावा अन्य प्रकृति का उद्योग का संचालन निषिद्ध है। यदि लाकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसी इकाई को सीज करके उसके विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- (xi) यदि उद्योग संचालन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये एक Virtual Control Room बनाया गया है जिसमें उद्योग निदेशालय एवं रीको के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उद्यमी अपनी समस्या अथवा मार्गदर्शन ले सकता है।
- (xii) अनुमत उद्योगों की श्रेणी के संबंध में किसी तरह की भ्रम होने पर उद्योग विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
- (xiii) प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- (xiv) उद्योग परिसर/किसी भी खुले स्थान पर थूकना पूर्णत निषिद्ध है। किसी भी श्रमिक अथवा कार्मिक के द्वारा धूम्रपान, गुटखा, पानमसाला आदि का प्रयोग वर्जित होगा।
- (xv) भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा यदि कुछ संशोधित आदेश जारी किया जाता है तो वह सभी पर तुरन्त प्रभाव से लागू हो जायेगा।
- (xvi) यदि किसी क्षेत्र विशेष में जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोई विशेष आदेश पारित किया जाता है तो वह उक्त आदेशों पर प्रभावी रहेगा।

उक्त गाईडलाईन सभी संबंधित विभागों, औद्योगिक संगठनों तथा फील्ड आफिसर्स को भिजवायी जावे तथा प्रचार प्रसार भी किया जाये।

(डा० सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उद्योग, डीएमआईसी एवं एमएसएमई

प्रतिलिपि निम्न को:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण।
5. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. प्रबन्ध निदेशक रीको/आयुक्त उद्योग
10. संबंधित समस्त अधिकारीगण
11. संबंधित पत्रावली।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

अनुलग्नक-1

1. दवाईयों, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती उत्पाद इकाईयों।
2. तेल मिल, चावल मिल, आटा/दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद इकाईयों।
3. ऐसी उत्पादन इकाईयों जिनकी continuous process आवश्यक है।
4. कोयला एवं खनिज उत्पादन, खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं आनुषांगिक गतिविधियों वाले उद्योग।
5. कैमिकल कारखाने, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।
6. खेत जोतने से संबंधित मशीनरी एवं उपकरण तथा स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन इकाईयों एवं आपूर्ति श्रृंखला के सभी आईटम।
7. खाद बीज एवं कीटनाशक की उत्पादन इकाईयों तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित इकाईयों।
8. पशु आहार एवं मुर्गी दाना आदि की उत्पादन इकाईयों एवं कच्चा माल तथा सप्लाई श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान।
9. उपरोक्त सभी प्रकार के उद्योगों के लिये पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाईयों तथा अन्य आईटमों के लिये जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी में है।
10. एम्बूलेंस निर्माण/बाडी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन।
11. खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग।
12. तेल एवं गैस का उत्खनन/परिष्करण, रिफाईनरी।
13. सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण।
14. ईट भट्टे।

अनुलग्नक-3

Format of Self-declaration Certificate by the Entrepreneur (Part One):

For completion by the Applicant Firm/Company/LLP/Trust/Society	
Name	
Address	

Location of Factory/Establishment	
Udyog Adhar Registration No.	
Contact No. & Mobile No.	
Email Address	
Name of Product/Activity	
Total workers in unit on payroll	
Total workers in unit through contractor	
Whether workers are staying in factory premises, if yes, how many	
Name and Mobile Number of Responsible Person of Unit	
Whether situated within Municipal limit or Rural Area, specify name	
Shifts to be operated during lockdown period	
Whether labours staying within premises or not, if yes, how many	
Do you have adequate arrangements for staying and other needs of the workers? If yes, specify	Yes/No No. of Rooms No. of Bedroll Mode of food supply on daily basis:
Do you have adequate arrangements of safety and social distance as per orders of Govt.	
No. of workers/personnel coming from outside during operation of activities of factory/establishment	

Part Two:

I..... Son/Daughter/Wife of Shri resident of is Owner/ Director/Partner/Manager/ Authorized person of above named applicant and duly authorized to furnish this self declaration certificate on behalf of applicant firm/company/Trust/Society. I Solemnly

affirm and declare that our unit/activity falls under exempted category under Lockdown Period in accordance with the Order No. 40-3/2020-DM-1(A) dated 15.04.2020 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India and Order No. F.33(2) Home/ Gr.9/2019 dated 15.04.2020 read with Order dated 26.03.2020, 04.04.2020 & 07.04.2020 issued by Home Department, Government of Rajasthan and any subsequent orders to be issued in this regard.

I affirm and certify that I have understood the terms and conditions of the cited orders for the purpose of starting manufacturing activities/permitted activities during lockdown period in above mentioned factory/establishment. I also affirm and certify that we have strictly follow the Standard Operating Protocol as laid down by the Ministry of Home Affairs, GoI as well as Ministry and advisories issued from time to time in this regard.

I also undertake that I will permit the officers of the State Government or its agencies at all reasonable hours to enter into and upon the premises for inspection related to comply with the norms of modified lockdown.

Certified that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and in accordance with our record. I understand that any concealment or furnishing any false information shall amounts to initiate legal action against me and other responsible persons of the Management of the applicant firm or company in accordance with the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005 read with Section 188 of the Indian Penal Code.

Place: Signature of Executor
Date: Name in Block Letters
Photo ID No.
Official Seal

Note: Any false information shall cause to the competent authority to cease the factory premises/establishment and legal action shall be initiated against the responsible persons in accordance with prevailing laws.

अनुलग्नक-4

ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अनुमत उद्योग जिसे पास की आवश्यकता नहीं है

इकाई का नाम	
पता	

फैक्ट्री की लोकेशन	
उद्योग आधार नंबर यदि हो तो	
दूरभाष या मोबाईल नंबर	
ईमेल एड्रेस	
उत्पाद का नाम	
कुल नियोजित श्रमिकों की संख्या	
ठेके के माध्यम से नियोजित श्रमिकों की संख्या	
इकाई के मालिक या मैनेजर का नाम व मोबाईल नंबर	
लाकडाउन अवधि में सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा मानकों की पालना के समुचित इंतजाम	

घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी

यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें सही व सत्य हैं। मेरी इकाई भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा माडिफाईड लॉकडाउन अवधि में अनुमत इकाई में आती है।

स्थान:—

हस्ताक्षर:—

दिनांक:

नाम व पता:—